सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

बच्ची बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 151 सीपीसी नम्बर.....04...../18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.2.18	अभिभाषक प्रार्थी श्री प्रेम प्रकाश मदान उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुआ। जो पंजीबद्व हो। प्रार्थना पत्र पर बहस प्रार्थी सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि मुरब्बा नम्बर 102/17 तादादी 25 बीघा भूमि वाके चक 7 केजेडी में आवंटित थी। उक्त भूमि सर्वे होने के कारण इसे 8 केजेडी दर्ज कर दिया गया। लेकिन उक्त रकबे का अमल दरामद नहीं किया गया। जिस हेतु न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 18–06–2013 को आदेश पारित किया गया कि मुरब्बा नम्बर 102/17 तादादी 25 बीघा भूमि के वर्तमान नये चक 8 केजेडी रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करने पर दिनांक 25–10–2016 को राज्य सरकार की निगरानी खारिज की गई। इन सब के बावजूद भी अप्रार्थी स्टेट द्वारा रिकार्ड में अमल दरामद	

	नहीं किया जा रहा है। जो एक तरह से न्यायालय की अवमानना की तारीफ में आता है। लिहाजा प्रार्थी माननीय न्यायालय से अनुरोध करती है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18–06–13 की पालना के तहत मुरब्बा नम्बर 102/17 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि वाके चक 8 केजेडी के रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी इस आश्य का प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18–06–2013 के अनुसार वादगत् भूमि वाके चक 7 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 102/17 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि जो सर्वे में चक 8 केजेडी पैमूद हुए के अमल दरामद के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश की निगरानी राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत किये जाने पर स्टेट की निगरानी मण्डल द्वारा दिनांक 25–10–2016 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार अमल दरामद किये जाने का दायित्व संबंधित तहसीलदार का है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त निर्णयों के बावजूद भी प्रार्थी की भूमि का अमल दरामद नहीं किया जा रहा	

	है। ऐसी स्थिति में पक्षकार को बार–बार न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है। राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति उनकी लापरवाही का द्योतक है। अतः प्रकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व न्यायालय हाजा व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश की अनुपालना में तहसीलदार खाजुवाला को निर्देशित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के संबंध में जारी आदेश दिनांक 18–06–2013 की पालना सुनिश्चित करावें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो। (डॉ0राकेश कुमार शर्मा) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर।	